<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
11.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 09.04.2026 को अवैध कोयला खनन, चोरी, अवैध कोयला परिवहन, कोयले की अवैध बिक्री, जाली दस्तावेजों के उपयोग एवं उगाही से संबंधित मामले में चिन्मय मंडल, किरण खान सहित पांच आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने उक्त मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकरणों की शिकायतों पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर–आसनसोल क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत 54 प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की।

जांच से यह उजागर हुआ कि आरोपित व्यक्ति, अर्थात् चिन्मय मंडल, किरण खान तथा उनके सहयोगी, दुर्गापुर–आसनसोल क्षेत्र एवं उससे निकटवर्ती क्षेत्रों में संचालित एक संगठित कोयला सिंडिकेट का हिस्सा थे। यह सिंडिकेट न केवल अवैध कोयला संबंधी गतिविधियों में संलिप्त था, जिसमें अवैध माध्यमों से प्राप्त कोयले का व्यापार तथा झारखंड से पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से परिवाहित कोयले का लेन–देन शामिल है, बल्कि वैध डी.ओ. (डिलीवरी ऑर्डर) धारकों, परिवहनकर्ताओं तथा कोयला क्रेताओं से व्यवस्थित रूप से उगाही करने में भी संलिप्त था। ऐसी अवैध वसूली, जिसे सामान्यतः 'जीटी', 'गुंडा टैक्स' या 'रंगदारी टैक्स' कहा जाता है, कोयले के उठाव एवं परिवहन की अनुमति देने के लिए ली जाती थी तथा इसे उठाव शुल्क, हैंडलिंग शुल्क, दान आदि के रूप में छिपाया जाता था।

जांच से यह उजागर हुआ है कि उगाही की दरें लगभग ₹275 प्रति टन से ₹1,500 प्रति टन तक भिन्न थीं, जो नीलाम किए गए कोयले के वास्तविक मूल्य से अत्यधिक 20–25% थीं। ऐसी बलपूर्वक वसूली के कारण आवंटित कोयले की एक बड़ी मात्रा उठाई नहीं जा सकी, जिससे ईसीएल को भी पर्याप्त वित्तीय हानि हुई। वर्तमान तक, पिछले पांच वर्षों में केवल इस प्रकार की उगाही के माध्यम से इस सिंडिकेट द्वारा ₹650 करोड़ से अधिक की अपराध से आय अर्जित करने का अनुमान है।

जांच के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत विभिन्न तिथियों को आरोपित व्यक्तियों एवं उनके सहयोगियों से संबंधित अनेक परिसरों पर तलाशी की गई। ऐसी तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, व्हाट्सएप चैट, कोयला उठाव के अभिलेख, वसूली संग्रह से संबंधित पत्र, बैंक खाता विवरण तथा अन्य सामग्री बरामद एवं जब्त की गई। दिनांक 21.11.2025 तथा 03.02.2026 को की गई तलाशी के परिणामस्वरूप लगभग ₹17.57 करोड़ की नकदी, बैंक शेष राशि तथा कीमती वस्तुएं जब्त की गईं, इसके अतिरिक्त आरोपित व्यक्तियों एवं उनके सहयोगियों के परिसरों से कोयला एवं कोक का भारी भौतिक भंडार भी बरामद किया गया।

जांच से यह भी उजागर हुआ है कि आरोपित व्यक्तियों ने अपराध से अर्जित आय के हस्तांतरण (रूटिंग), परतन (लेयरिंग) तथा बेदाग दर्शाने के लिए अनेक एकल स्वामित्व प्रतिष्ठानों एवं कंपनियों का उपयोग किया। बैंक खातों के

विश्लेषण से पर्याप्त नकद जमा तथा आपस में निकट रूप से जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बीच बड़े पैमाने पर धन के हस्तांतरण का पता चला।

जांच में यह भी साक्ष्य उजागर हुए कि कोयले के परिवहन को सुगम बनाने तथा सिंडिकेट की गतिविधियों को जारी रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न अधिकारियों एवं स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारियों को रिश्वत का भुगतान किया गया। पूर्व में आरोपित व्यक्तियों, अर्थात् चिन्मय मंडल एवं किरण खान को दिनांक 09.02.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जांच जारी है।